रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 1971/श्रावण 12, 1893

No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 1971/SRAVANA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 1971

S.R.O. 9-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the maintenance or operation or both of the Bandel Thermal Power Station in District Hooghly in the State of West Bengal to be a service of vital importance to the community.

[No. F. 2(44)/71/D(GS-I).]

P. KRISHNAMURTI, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1971

का० नि० सं० 9-ई०.—सशस्त्र बल (आपात ड्यूटी) अधिनियम 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली जिले में बैंडल थर्मल पावर स्टेशन के अनुरक्षण या संचालन या दोनों से सम्बन्धित प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिये अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[सं० एफ० 2(44)/71/डी० (जी० एस०-1)]

पी० कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971